

आवेदक प्रपत्र संख्या

पंचायत समिति / वार्ड

शहर / कस्बा

प्रारूप एस.एस.पी.-I
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र

अनुप्रभाणित
फोटो

(संबंधित √ पर मिशान लगायें)

पेंशन का प्रकार :— वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा विशेष योग्यजन अन्य

आवेदक के निवास स्थान का विवरण

जिला/तहसील/पंचायत समिति

ग्राम/वार्ड/कस्बा/शहर

लोकसभा क्षेत्र

1. आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या
2. पुलाल या स्त्री
3. पिता या पति का नाम
4. धर्म
5. व्यवसाय
6. पति की मृत्यु/परित्यक्तता/तलाक प्रमाण पत्र की तिथि (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) (विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)
7. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (निःशक्तता पेंशन के प्रकरण में)
8. पूरा पता
9. जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख की आयु) (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है)
10. पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प

 पुरुष स्त्री

जाति :

□□-□□-□□□□

 अंधता कुष्ठ रोग गुवत श्रवण शविता ह्वास घलग निःशक्तता
 मानसिक मंदता कम दृष्टि मानसिक रुग्णता वौजापन
 निःशृक्ता का प्रतिशत

पिनकोड □□□□□

□□-□□-□□□□ आयु : □□ वर्ष □□ वाह

 नकद मनीऑर्डर उक्तपार बचत खाता
 बैंक बचत खाता

□□□□-□□□□□□□□□□□

1

2

3

□□□□

14. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आय :

- (क) पिता एवं माता
 (ख) पति/पत्नी

टिप्पणी : (i) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जावे।

15. क्या कार्ड भी संबंधी लगातार लापता है ? (हाँ/नहीं)

यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख जिससे लापता हो)

नाम :

आय रुपयों में

रु. वार्षिक

रु. वार्षिक

 हाँ नहीं

नाम :

सम्बन्ध

□□ आयु □□-□□-□□□□

(2)

16. गतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड संख्या : राशनकार्ड संख्या
 17. श्रेणी : सामान्य ओ.वी.सी. एस.वी.सी. एस.सी. एस.टी. अल्प संख्या
 18. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मोबा. ले.ला.
 19. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर : मोबा. ले.ला.
 20. मैं एतद्वारा प्रभागित करता/करती हूँ :
 (क) (i) मेरे जीवन निर्वाह हेतु मेरी स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं है अथवा मेरी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये हैं। मेरा पुत्र राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत/पेंशनर है/नहीं है।
 (नीचे लिखे नोट के अनुसार आय की उद्घोषणा पत्र को संलग्न कर दिया है)
 (ii) मैं रुपये प्रति माह (राकारी विभाग/निजी निकाय/संरक्षण स्त्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या आदेश संख्या के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्ररुहा हूँ/कर रही हूँ।
 (ख) मैंने पूर्व नियमों वृद्धावस्था/विघ्वा/परित्यकाता/तलाकशुदा/विशेष योग्यजन में पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया/नहीं यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या पेंशन स्वीकृत है या अस्वीकृत की गई) यदि स्वीकृत है तो पं संख्या दिनांक जारी कर्ता कोषालय का नाम
 (ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गते 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।
 (घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रगतिशक्ति धार्त, मानसिक गंदता और बहु-निःशक्तता प्रस्तुत व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है। (यदि लागू हो तो))
 (ड) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त प्रविशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं, एवं गलत पाए जाने पर मेरे आवेदन को निरस्त विसंगत मदों को काट दिया जाये।

स्थान :

दिनांक : □□-□□-□□□□

संलग्न - उपरोक्तानुसार

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
या दायें/बायें अंगूठे का निशान

नोट : - पेंशन आवेदन के संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या पं.13(34) राज./युप.।/2012 दिनांक 09/08/2012 द्वारा जारी आय की उद्द पत्र के लिए निर्धारित पत्र के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपना कर प्राधिकृत स्वीकृति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र संसद/विधानसभा/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के गदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख/सदस्य एवं अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जायेगा)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री

विधारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 1. को गत वर्षों से जानता हूँ। उसके गहराने के धिन्ह नीवे दिये जा रहे हैं।
 2.

यह स्वस्थ वित्त/विक्षिप्त है। इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक : स्थान

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि निराश्रित विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो निराश्रित का पेंशन द्वारा भरण पोषण करने का लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत समिति के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी सम्पर्क रूप से अनुप्रभागित पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें। (फोटो चिपकानी नहीं है।)
- (3) विशेष योग्यजन पेंशन आवेदन के संबंध में संलग्न की गई फोटो में दाहरी निःशक्तता स्पष्ट रूप से दर्शित होनी चाहिए।

(3)

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग II

जांच अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक जांच कर ली है और आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन का परिणाम निम्नानुसार है :-
(संबंधित ✓ पर निशान लगाये)

आवेदक का नाम	एवं आयु :	<input type="checkbox"/> वर्ष <input type="checkbox"/> माह <input type="checkbox"/> तिथि			
आधार कार्ड संख्या/मतदाता पहचान पत्र संख्या/अन्य पहचान/मूल निवास					
(i) भौतिक सत्यापन के आधार पर आयु के प्रमाण के सम्बन्ध में टिप्पणी					
(ii) देखने पर अनुमानित आयु	<input type="checkbox"/> वर्ष <input type="checkbox"/> माह				
(iii) गाँव के जिस्टेदार व्यक्तियों, निकट सम्बन्धियों, पटवारी, पंच आदि द्वारा बताई गई आयु	<input type="checkbox"/> वर्ष <input type="checkbox"/> माह				
आवेदक की समत्त स्त्रीतों से कुल वार्षिक आय एवं आय का स्त्रोत	रु.	वार्षिक स्त्रोत :			
(i) क्या उसकी कोई पूर्व सम्पत्ति है, जैसे मकान, दुकान, मशीनरी, कृषि भूमि आदि ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं				
(ii) क्या उसकी कृषि, मशीनरी, किराये, कारोबार, व्यवसाय या नियोजन मजदूरी, व्याज आद से कोई नियमित आय होती है ? (कुल वार्षिक आय में जोड़े)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	रु. वार्षिक			
(iii) अब तक उसके जीवन निवाह या उसकी जीविका का रत्रोत क्या रहा है ?					
(iv) जांच के समय उसके नोटिस में लाई गई या अन्य सम्बन्धित सूचना या विशिष्टियां					
3. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण					
(i) माता-पिता, पली/पति, पुत्र का नाम, उसकी आयु और आय का स्त्रोत, राजकीय नियुक्ति का विवरण					
(ii) अन्य सम्बन्धी जो जीविकोपार्जन के लिये सर्वथा असमर्थ हो गये हों, यदि हां, तो नियोग्यताओं का व्यौरा दें।	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं				
4. कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान, वेतन आदि :					
क्या उसे कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान, वेतन आदि से वित्तीय सहायता भिलती है ? यदि हां तो वेतन, पेंशन राशि, भत्ते आदि का पूर्ण व्यौरा और प्राप्ति का स्त्रोत और अन्य आवश्यक विशिष्टियाँ लिखें।	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	रु. विवरण			
5. आवेदक के सम्बन्ध में कोई अन्य सूचना :-					
a) बी.पी.एल. सर्व संख्या आदि/अन्तोदय परिवार/आस्था कार्ड धारी परिवार संक्षिप्त विवरण दें।					
b) पति के मृत्यु/परित्यक्ता/तलाक के प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न है (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	HIV +	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
c) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन आवेदन के सम्बन्ध में क्या आवेदक ने पुनःर्विवाह किया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं				
d) परित्यक्ता महिला अपने पति से कितने वर्ष से अलग रह रही है ? (परित्यक्ता पेंशन के प्रकरण में)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	समयावधि :		वर्ष माह से	
e) निःशक्तता का प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (विशेष योग्यता पेंशन प्रकरण में)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	निःशक्तता का प्रतिशत :		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
f) क्या आवेदक प्राकृतिक बौनेपन से ग्रसित है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	ऊँचाई	फीट	इंच	
6. क्या आवेदक सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं				

(4)

7. जांच अधिकारी की सिफारिश

आवेदक के परिवार के बी.पी.एल. सूची / अन्तोदय परिवार /
 आस्था कार्डधारक की सूची में सूचीबद्ध रहने तक / विधवा /
 परित्यक्ता / तलाकशुदा के पुनःविवाह नहीं करने तक / आय
 अनुरूप पात्रता नहीं रहने तक / मृत्यु पर्यन्त
 वृद्धावस्था / विधवा / विशेष योग्यजन विशेष पेंशन स्वीकृत
 करने की सिफारिश की जाती है / नहीं की जाती है। मामले की
 अस्वीकृति के निम्न कारण है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

अन्य कोई विशेष विवरण :

क्रमांक :

दिनांक : □□-□□-□□□□

स्थान :

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम मय सील

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग III

क्रमांक :

दिनांक

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के आदेश

आवेदक श्री श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी को उनके पेंशन आवेदन के अनुरूप
 पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा रूपये (अक्षरे रूपये) की वृद्धावस्था /
 विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा / विशेष योग्यजन पेंशन एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन एवं स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली माति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ या हुई जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है।

या

पेंशन की मंजूरी का आवेदन निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी
 नाम मय सील

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग- IV

आय का घोषणा पत्र

(सामाजिक सुरक्षा पेशन योजनाओं के लिए)

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक विन्दु को ✓ चयन करें)

पेशन का प्रकार:- वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा विशेष योग्यजन अन्य

1. प्रार्थी का नाम..... पिता/पति का नाम श्री..... आयु..... वर्ष..... माह.....
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
तह..... जिला..... पिन:
3. स्वयं/स्वयं की एवं पति/पत्नि की समस्त स्त्रीतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :-

(i) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.....	(ii) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.....
(iii) वेतन, पेशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी, आदि से आय: रु.....	(iv) मशीनरी, किराये, दुकान, कारोबार, व्यवसाय या व्याज, लाभांश से आय: रु.....
(v) अन्य स्त्रीतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक:.....

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्ति का सौहस्य प्रमाण पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि, प्रार्थी/प्रार्थिया..... निवासी..... पुत्र/पुत्री/पति..... श्री..... को भली प्रकार से जानता/जानती हूँ। प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा का मैं साक्षी हूँ। मेरी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्त्रीत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
नाम.....
(पद नाम या दिनांक)

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उपमहापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशप्त करवाएं।)